



DICGC द्वारा वाणज्यिक बैंकों से अधिक शुल्क वसूली

प्रलम्ब के लिये:

[डिपोजिट इंश्योरेंस](#), डिपोजिट इंश्योरेंस की सीमा और कवरेज, [DICGC](#)

मेन्स के लिये:

डिपोजिट इंश्योरेंस का महत्त्व एवं [डिपोजिट इंश्योरेंस और ऋण गारंटी नगिम \(DICGC\)](#) की आवश्यकता

[स्रोत: लाइव मति](#)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) की सहायक कंपनी डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अपने प्रीमियम ढाँचे के लिये जाँच के दायरे में है, जो वाणज्यिक बैंकों से अधिक शुल्क वसूलती है, जबकि सहकारी बैंकों को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुँचाती है।

- इससे वर्तमान प्रणाली की नष्पकषता और दक्षता के बारे में चर्चा उत्पन्न होती है, जिससे विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के **क्रैसिक प्रोफाइल** के आधार पर प्रीमियम के पुनर्मूल्यांकन की मांग उठती है।

वाणज्यिक बैंकों से डिपोजिट इंश्योरेंस के लिये अधिक शुल्क कैसे वसूला जा रहा है?

- **अनुपातहीन प्रीमियम बोझ:** DICGC वाणज्यिक बैंकों से 94% प्रीमियम एकत्र करता है, जो नविल दावों (net claims) का 1.3% है, जबकि सहकारी बैंक प्रीमियम का 6% योगदान देते हैं और नविल दावों का 98.7% दावा करते हैं।
 - वर्ष 1962 से वाणज्यिक बैंकों ने 295.85 करोड़ रुपए के सकल दावे दायर किये हैं, जिसमें कुल नविल दावे 138.31 करोड़ रुपए हैं।
 - इसके विपरीत सहकारी बैंकों ने 14,735.25 करोड़ रुपए के सकल दावे दायर किये हैं, जिसमें नविल दावे 10,133 करोड़ रुपए हैं।
 - इसका अर्थ है कि अचूखी तरह से प्रबंधित वाणज्यिक बैंक सहकारी बैंकों से जुड़े उच्च जोखिमों को प्रभावी ढंग से बर्साडी दे रहे हैं, जिसके लिये दावों के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आवश्यकता होती है।
- **वाणज्यिक बैंकों से अधिक शुल्क वसूलने के नहितार्थ:**
 - **उच्च अनुपालन लागत:** वाणज्यिक बैंकों को जोखिम प्रोफाइल की परवाह किये बिना प्रती 100 रुपए बीमाकृत 12 पैसे की **मानक प्रीमियम दर** के कारण उच्च अनुपालन लागत का सामना करना पड़ता है। यह बैंकों की **परिचालन दक्षता और लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव** डाल सकता है, जिससे अंततः ऋण प्रदान करने एवं उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
 - **असमान जोखिम मूल्यांकन:** वाणज्यिक बैंक, जनिक जोखिम प्रोफाइल आम तौर पर कम होता है, उन्हें उच्च प्रीमियम के माध्यम से **दंडित किया जाता है**, जो जोखिम मूल्यांकन के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिससे बीमा मूल्य निर्धारण का मार्गदर्शन करना चाहिए।
 - **वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव:** उच्च प्रीमियम वाणज्यिक बैंकों के लिये **वित्तीय स्थिरता को कम कर सकता है**, क्योंकि उन्हें इन लागतों को जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं पर डालना पड़ सकता है।
 - इसके परिणामस्वरूप **ऋणों के लिये उच्च ब्याज दरें और जमाकर्ताओं के लिये कम रटर्न** हो सकता है, जिससे समग्र बैंकिंग परिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।
 - **खराब प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन:** सहकारी बैंकों की वफाताओं से जुड़ी लागतों को वाणज्यिक बैंकों को वहन करने की आवश्यकता होने से, वर्तमान संरचना अनजाने में सहकारी बैंकों के भीतर खराब प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि चूक के परिणाम अधिक स्थिर संस्थानों पर स्थानांतरित हो जाते हैं।

DICGC के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- यह वर्ष 1978 में संसद द्वारा **डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961** के पारित होने के बाद जमा बीमा नगिम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा **क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI)** के वलिय के बाद अस्तित्व में आया।
- यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है।
- यह **भारतीय रजिस्टर बैंक** द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

- **जमा बीमा नधि:** यह नधि बैंक के जमाकर्त्ताओं को उस स्थिति में बीमा प्रदान करती है, जब बैंक वित्तीय रूप से वफिल हो जाता है और उसके पास जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के लिये धन नहीं होता है तथा उसे परसिमापन की स्थिति में जाना पड़ता है।
 - इसका वित्तपोषण बैंकों से प्राप्त प्रीमियम द्वारा किया जाता है।
- **ऋण गारंटी नधि:** यह वह गारंटी है, जो प्रायः ऋणदाता को वशिष्ट उपाय उपलब्ध कराती है, यदि देनदार उसका ऋण वापस नहीं करता है।
- **सामान्य नधि:** यह DICGC के परचालन वयय को कवर करती है, जो इसके परचालन से प्राप्त अधशेष से वित्तपोषित होती है।

- **जमा बीमा की सीमा:** वर्तमान में एक जमाकर्त्ता बीमा कवर के रूप में प्रतर्खिता अधिकतम 5 लाख रुपए का दावा कर सकता है। इस राशिको 'जमा बीमा' कहा जाता है। प्रतर्जिमाकर्त्ता 5 लाख रुपए का कवर **DICGC द्वारा प्रदान** किया जाता है।
 - यदि बैंक डूब जाता है तो **खाते में 5 लाख रुपए से अधिक राशि रखने वाले जमाकर्त्ताओं** के पास धन वापस पाने के लिये कोई कानूनी उपाय नहीं है।
 - बीमा के लिये प्रीमियम राशि प्रतर् 100 रुपए जमा पर 10 पैसे से बढ़ाकर **12 पैसे** कर दी गई है तथा 15 पैसे की सीमा तय की गई है।
 - इस बीमा के लिये प्रीमियम का **भुगतान बैंकों द्वारा DICGC को किया** जाता है, तथा इसे जमाकर्त्ताओं को नहीं दिया जाता।
 - **बीमति बैंक प्रत्येक वत्तितीय छमाही** के आरंभ से 2 महीने के भीतर नगिम को अग्रिम बीमा प्रीमियम का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर करते हैं, जो पछिली छमाही के अंत में उनकी जमाराशियों पर आधारित होता है।
- **कवरेज:**
 - **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भारत में शाखाओं वाले वदिशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों** को DICGC के साथ जमा बीमा कवर लेना अनविर्य है।
 - **प्राथमिक सहकारी समितियों** का DICGC द्वारा **बीमा नहीं** किया जाता है।
- **कवर की गई जमा राशियों के प्रकार:** **DICGC** नमिनलखित प्रकार की जमाराशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाओं, जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि का बीमा करता है:
 - वदिशी सरकारों की जमाराशियाँ।
 - केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
 - अंतर-बैंक जमा।
 - **राज्य भूमि विकास बैंकों** की राज्य सहकारी बैंकों में जमाराशियाँ।
 - भारत के बाहर प्राप्त कोई भी जमा राशि।
 - कोई भी राशि जिसि RBI की पछिली मंजूरी के साथ नगिम द्वारा वशिष रूप से छूट दी गई है।
- **जमा बीमा की आवश्यकता:**
 - हाल ही में **पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी वलिस बैंक** जैसे मामलों में जमाकर्त्ताओं को बैंकों में अपने धन तक तत्काल पहुँच प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों ने जमा बीमा के वषिय पर परकाश डाला है।

- **प्रस्ताव:** वाणज्यिक बैंकों के लिये प्रीमियम को 12 पैसे से घटाकर 3 पैसे परत 100 रुपए बीमाकृत करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इन बैंकों को वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राहत मलि सकती है।
 - इसके वपिरीत सहकारी बैंकों के लिये प्रीमियम 12 पैसे पर बना रह सकता है या 15 पैसे तक बढ़ सकता है।
- **लाभ:**
 - जोखमि-आधारति प्रीमियम: बैंकों के जोखमि प्रोफाइल के साथ प्रीमियम को संरेखति करना एक स्पष्ट संदेश भेजता है कबीमा लागत वास्तवकि जोखमि को प्रतबिबिति करना चाहयि।
 - आर्थकि दक्षता: वाणज्यकि बैंकों के लयि कम अनुपालन लागत उनकी परचालन दक्षता को बढ़ा सकती है जिससे जमाकर्त्ताओं और उधारकर्त्ताओं को लाभ हो सकता है।
 - अच्छे प्रबंधन को प्रोत्साहति करना: अच्छी तरह से प्रबंधति बैंकों को दंडति न करके, यह प्रणाली बेहतर बैंकिग प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

परश्न: बैंकगि कषेतर में जमा बीमा के महततव और भारत में DICGC के सामने आने वाली चनौतयिों पर चरचा कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वरष के परश्न (PYQ)

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से संस्थान अनुदान/परत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता/करते है/हैं? (2013)

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
3. भूमा विकास बैंक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

प्रश्न. यदि भारतीय रज़िर्व बैंक एक वसितारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का नरिणय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुवधि दर में बढ़ोतरी
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. बैंक खाते से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिये इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिये उचित तर्क दीजिये। (2016)